



**बिहार सरकार,**  
**पर्यावरण एवं वन विभाग**  
**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**  
**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014  
 संख्या FC- ८८

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
 -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
 बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
 पर्यावरण एवं वन विभाग,  
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— २९/०१/२०१८

**विषय –** अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत NH-327E गलगलिया-ठाकुरगंज-बहादुरगंज के पथांश गलगलिया-खाईखट (0.00-39.00 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.60 हेठल वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत NH-327E गलगलिया-ठाकुरगंज-बहादुरगंज के पथांश गलगलिया-खाईखट (0.00-39.00 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.60 हेठल वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 15.60 हेठल वन भूमि एवं 2316 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है—

क्रम सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	232	2084

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 15.60 हेठो अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 32.00 हेठो अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, अररिया के अररिया प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुसियारगाँव आजमनगर PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 15.60 हेठो वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हेठो के दर से रु० 97,65,600/- (रूपये पैतीस लाख पचहतर हजार सात सौ बारह) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 15.60 हेठो वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये अररिया वन प्रमंडलन्तर्गत 32 हेठो अवकृष्ट वन भूमि कुसियारगाँव आजमनगर सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 7,89,70,255/- मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC-४४

दिनांक—२९/०१/२०१८

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Adarsh  
29/01/18*

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।